भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1476

सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

निर्माण कार्य से जुड़े प्रवासी कामगार

1476. श्री खगेन मुर्मु:

डॉ॰ सुकान्त मजूमदार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण कार्य से जुड़े प्रवासी कामगार न्यूनतम दिहाड़ी, समयोपरि भुगतान और साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त आवास और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार हैं, परंतु श्रम कानून के इस खण्ड के कार्यान्वयन की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण उपकर के रूप में संग्रहित लगभग 20,000 करोड़ रु॰ अप्रयुक्त पड़े हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान संग्रहित और प्रयुक्त उपकर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्माण उपकर के रूप में संग्रहित राशि को प्रवासी कामगारों को किराए पर आवास प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विनिर्माण कामगारों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम**, 1979** में अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (आरईएण्डसीएस) केंद्रीय नियम**, 1980** के नियम 45 के अनुसार कथित नियमों में शामिल प्रवासी सन्निर्माण कामगारों सहित प्रवासी कामगारों को आवासीय स्थान सुविधाएं देने का उपबंध है। इन प्रावधानों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए मुख्य श्रम आयुक्त(कें.) के अंतर्गत ढांचा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (आरईएण्डसीएस) अधिनियम और केंद्रीय नियमों के अंतर्गत नियमित निरीक्षण करता है। इसका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

जारी---2/-

(ग): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, **1996** में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का उपबंध है। उपर्युक्त कथित अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण की लागत की 1% दर से उपकर लगाया और इसका संग्रहण किया जाता है। राज्य बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत गठित अपने-अपने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार उपकर निधि का उपयोग करते हैं। राज्यों और संघ क्षेत्रों ने 31.03.2019 तक लगभग 49688.07 करोड़ रूपये का संग्रहण किया है और 19379.922 करोड़ रूपये खर्च किए हैं।

(घ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 34 में नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है कि वे भवन या अन्य निर्माण कार्य जारी रहने की अवधि तक उनके द्वारा नियोजित कामगारों को यथासंभव कार्य स्थल पर या उसके निकट भोजन पकाने, स्नान, कपड़े धोने की अलग जगह और शौचालय सुविधाओं के साथ रहने की जगह मुफ्त में प्रदान करें। इसके अलावा काम की तलाश करते समय बीओसी कामगारों के सामाने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे बीओसी कामगारों को यथानिर्धारित राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर निधि में से मार्गस्थ आवास / लेबर शेड - कम - नाईट शेल्टर, मोबाइल शौचालय और मोबाइल शिशुग्रह की सुविधा प्रदान करने में अग्रसक्रिय कदम उठाएं।

(ड.) बीओसीडब्ल्यू (आरईसीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 में बीओसी कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी उपायों का उपबंध किया गया है:

(i) दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता देना;

(ii) जिन लाभार्थियों ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उन्हें पेंशन की भुगतान लागत करना;

(iii) लाभार्थी को मकान बनाने के लिए यथानिर्धारित राशि से अनधिक और निबंधन एवं शर्तों पर ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना;

(iv) लाभार्थी की समूह बीमा योजना के प्रीमियम के लिए ऐसी राशि का भुगतान करना जिसे ठीक समझा जाए।

(v) लाभार्थी के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धारित की जाने वाली वित्तीय सहायता देना;

(vi) लाभार्थी अथवा ऐसे आश्रित को प्रमुख बीमारी के उपचार के लिए निर्धारित किए जाने वाले चिकित्सा खर्चों का भुगतान करना;

(vii) महिला लाभार्थियों को प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान करना; और

(viii) निर्धारित किए जाने वाले ऐसे कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं का प्रावधान करना एवं उनमें सुधार करना।

राज्यों के राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डो ने उपर्युक्त के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ विलयित आम आदमी बीमा योजना) एएबीवाई की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करने के लिए बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि का उपयोग करें और आयुषमान भारत और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (एसवाईएम-पीए) के अंतर्गत बीओसी कामगारों को जीवन तथा अशक्तता कवर और वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए उपकर निधि में से इन योजनाओं के लिए राज्य अंश / लाभार्थी अंश का भुगतान करें।

* ****

अनुबंध –I

01.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1476 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

आईएसएमडब्ल्यू (आरई एण्ड सीएस) अधिनियम, 1979

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 मार्च, 2019 तक
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	173	122	209	185
2.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	2744	2214	2952	3463
3.	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	2240	1848	1939	2423
4.	शुरू किए अभियोजनों की संख्या	61	52	57	84
5.	दोषसिद्धियों की संख्या	44	59	47	38

*****